Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to enhance the pension under Employees Pension Scheme 1995- laid

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): देश में विभिन्न निजी एवं अर्धसरकारी संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक दशा को देखते हुए 1995 में तत्कालीन सरकार ने इम्प्लॉइमेंट पेंशन स्कीम 1995 शुरू किया जिसके तहत इन संस्थानों से सेवानिवृत होने के पश्चात सभी कामगारों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया ।

1995 में जो पेंशन की राशि तय की गयी थी वही राशि आज भी दी जा रही है । आज की महंगाई के दौर में कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 1000/- रुपया दिया जाना उनके साथ अन्याय के समान है । 2012-13 में सरकार राज्यसभा के याचिका समिति के अध्यक्ष श्री भगत सिंह कोशियारी जी ने सभी पर अध्ययन के पश्चात 3 हजार रुपए एवं महंगाई भत्ता के साथ करने की सिफारिश की । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सिफारिश को लागू करने के आदेश दिए ।

निवृत कर्मचारी समन्वय समिति के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन भी किया है लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण अभी तक कोई सार्थ निष्कर्ष नहीं निकल पाया है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपयुक्त सेवानिवृत सभी कामगारों को कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत मिल रही पेंशन की राशि बढ़ाकर 9000/- रुपए प्रतिमाह किया जाय एवं ईएसआईसी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।